



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक: 552 / अका. / वि.परि. / 2025

रायपुर, दिनांक : 19 / 03 / 2025

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की गुरुवार, दिनांक 20.03.2025 को मध्याह्न 12:00 बजे आयोजित बैठक की विषयसूची

- विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 07.01.2025 के कार्यवृत्त को संपुष्टि प्रदान करना।
टीप :- कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न। (पृष्ठ क्र. 01 से 7)
- विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 07.01.2025 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।
टीप: विद्यापरिषद् की बैठक का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ प्रस्तुत है।
- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 20.02.2025 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना। (पृष्ठ क्र. 08 से 14)
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
- निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र-संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
i.	शासकीय आदर्श महाविद्यालय, महासमुन्द	B.Sc.-III - Bio Group - (F.C.- Hindi, English), Botany, Zoology, Chemistry	45	2024.25	1. डॉ. के.के. साहू, बायोटेक्नालॉजी अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
		B.Sc.-III - Maths Group - (F.C.- Hindi, English), Chemistry, Maths, Physics	45		2. डॉ. बी.एल. सोनेकर, अर्थशास्त्र अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
		B.A.-III - (F.C.- Hindi, English), Political Science, Economics, History	90		3. डॉ. कमलेश कुमार शुक्ला, बायोटेक्नालॉजी अ.शा. पं.र.शु. वि.वि. रायपुर
		B.Com. -III - All Compulsory Subject	90		4. डॉ. एन.के. चक्रधारी, भौतिकी अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
					5. डॉ. देवेन्द्र कुमार वर्मा, शास. महा. खरोरा, जिला-रायपुर

4

निरीक्षण तिथि : 12.03.2025

1. समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता – NA
2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – महाविद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध है।
3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – NA
4. शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – NA
5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – सत्र 2024-25 से महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है।
6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षाओं की उपलब्धता – कक्षाओं की पर्याप्त उपलब्धता है।
7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षाओं की उपलब्धता – प्रयोगशाला कक्ष है, कुछ उपकरण उपलब्ध है, अन्य उपकरण शास. महा. पिथौरा से उपगयोग किया जा रहा है। इस महाविद्यालय के लिए उपकरणों की आवश्यकता है।
8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – प्रयोगशाला कक्ष है, कुछ उपकरण उपलब्ध है, अन्य उपकरण शास. महा. पिथौरा से उपगयोग किया जा रहा है। इस महाविद्यालय के लिए उपकरणों की आवश्यकता है।
9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता – 12 अतिथि शिक्षक नियुक्त है। नियमित शिक्षकों की अति आवश्यकता है।
10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – ग्रंथपाल की आवश्यकता है। कुछ पुस्तकें (प्रथम, द्वितीय वर्ष) उपलब्ध है। तृतीय वर्ष के लिए पुस्तकें क्रय करने की आवश्यकता है।
11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – अन्य सुविधायें उपलब्ध है। पर आवश्यक सामान की जरूरत है।
12. यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ? – महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित हो गया है। नियमित शिक्षक आवश्यक है।
13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – आवश्यकता अनुसार पुस्तकें एवं प्रयोगशाला उपकरणों की आवश्यकता है।
14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके -- नियमित शिक्षक, पुस्तकें, प्रयोगशाला उपकरण, फर्नीचर, Chemicals, खेलकूद के सामान, ग्रंथपाल, कर्मचारी की आवश्यकता है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
ii.	जैन महाविद्यालय, देवपुरी-फुंडहर रोड, रायपुर	B.A.-I (F.C. - Hindi, English), Environment Studies, Economics, Psychology, English Literature	35	2024-25	1. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, आचार्य एवं संचालक, प्रबंध संस्थान पं.र.शु.वि. रायपुर 2. डॉ. बी.एस. ठाकुर, आचार्य एवं अध्यक्ष, गणित अ.शा. पं.र.शु.वि. रायपुर
		B.Sc.-I Maths (F.C. - Hindi, English), Environment Studies, Maths, Physics, Chemistry	35		
		B.Sc.-I Bio (F.C. - Hindi, English), Environment Studies, Botany, Zoology, Chemistry	35		
		B.Com.-I- All Compulsory Subject	35		

4

निरीक्षण तिथि : 12.03.2025

1. समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता – पंजीकृत है। नवीनीकरण प्रतिवर्ष होता है।
2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – 11 एकड़, महा. के लिए 5.5 एकड़ चिन्हांकित
3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – निरंक
4. शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – नवीन महाविद्यालय गठित किया जाना है।
5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – नहीं
6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षों की उपलब्धता – वर्तमान में समिति द्वारा संचालित विद्यालय के अतिरिक्त 8 कक्षों में संचालित किया जाएगा।
7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षों की उपलब्धता – अस्थायी रूप से उपलब्ध है।
8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – क्रय किया जाना है।
9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता – नियुक्त किया जाना है।
10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – नियुक्त किया जाना है। पुस्तकें क्रय किया जाना है।
11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – आधारभूत सुविधायें उपलब्ध है।
12. यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ? – --
13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – स्थल पर समिति के नाम 11 एकड़ भूमि है। जिसमें वर्तमान में स्कूल संचालित है। महा. हे 5.5 एकड़ भूमि चिन्हांकित किया गया है। रकबा-खसरा संलग्न है।
14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके – सम्बद्धता प्रदान किये जाने की स्थिति में निम्न कमियों को प्रवेश के पूर्व पूरा किया जाना होगा –
 - i. प्रत्येक विषय हेतु न्यूनतम 1 शिक्षक की अस्थायी नियुक्ति की जानी होगी।
 - ii. प्राचार्य की नियुक्ति की जानी होगी।
 - iii. इंडोमेंट फण्ड में निर्धारित राशि जमा किया जाना होगा।
 - iv. पुस्तकें तथा प्रयोगशाला हेतु उपकरण छात्र संख्या के अनुपात में क्रय किया जाना होगा।
 - v. संलग्न शपथ-पत्र के अनुसार 3 वर्ष के भीतर महाविद्यालय का भवन निर्माण पूर्ण कर लिया जावे।

5. कु. साक्षी अग्रवाल द्वारा माइक्रोबायोलॉजी विषय में पी-एच.डी. प्रवेश परीक्षा उत्तीर्णोपरांत बायोसाइंस विषय में पी-एच.डी. करने के संबंध में विचार करना।

टीप : आवेदिका साक्षी अग्रवाल ने वर्ष 2023 में M.Sc. Microbiology की परीक्षा उत्तीर्णोपरांत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित Microbiology विषय की Ph.D. प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है किंतु जैविकी विषय में Ph.D. करना चाह रही है। माननीय विद्यापरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।



6. विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड में दो सदस्यों के नामांकन के संबंध में विचार करना।

टीप : छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-30(1)(v) में निहित प्रावधान अनुसार विद्यापरिषद् के द्वारा नामांकित तीन विद्वानों में से दो विद्वानों का कार्यकाल दिनांक 31.08.2023 को पूर्ण हो गया है एवं एक विद्वान प्रो. राजीव प्रकाश, डायरेक्टर, आई. आई.टी. भिलाई का कार्यकाल दिनांक 22.02.2026 को पूर्ण हो रहा है। (प्रावधानित तीन में से दो स्थान रिक्त है।)

छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-30(1)(v) में निहित प्रावधान अनुसार विद्यापरिषद् के द्वारा नामांकित दो विद्वान (तीन में से दो रिक्त) जो विश्वविद्यालय से संसक्त न हो, का मनोनयन किया जाना है। माननीय विद्यापरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

7. शासकीय आदर्श महाविद्यालय, रायपुर का नाम परिवर्तन कर स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, अटारी, जिला-रायपुर किये जाने के संबंध में विचार करना।

टीप : महाविद्यालय के द्वारा शासकीय आदर्श महाविद्यालय, रायपुर का नाम परिवर्तन कर स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, अटारी, जिला-रायपुर के नाम से सम्बद्धता आदेश जारी किये जाने हेतु आवेदन क्र. 193 दिनांक 11.03.2025 प्रस्तुत किया गया है। छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर, नवा रायपुर, जिला-रायपुर का आदेश क्र. एफ 17-5/2023/38-1 दिनांक 17.05.2023 के द्वारा निम्नानुसार नवीन नाम किया गया है -

वर्तमान में महाविद्यालय का नाम	नामकरण उपरांत महाविद्यालय का नवीन नाम
शासकीय आदर्श महाविद्यालय, रायपुर	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, अटारी, जिला-रायपुर (Swami Atmanand Govt. English Medium Model College, Atari District-Raipur)

नाम परिवर्तन के संबंध में माननीय विद्यापरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।



8. सत्र 2024-25 के लिए निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु प्रकरण विद्यापरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :-

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय
1	नवीन शास. कन्या महाविद्यालय, गरियाबंद, जिला-गरियाबंद
2	स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय, महासमुंद
3	शास. राजीव लोचन महा., राजीम, जिला-गरियाबंद (सत्र 2023-24 एवं 2024-25)
अशासकीय महाविद्यालय	
1	शाम्भवी स्कूल ऑफ एजुकेशन, देवरभाटा, ग्राम-धुसेरा, अभनपुर, रायपुर
2	श्री पैरी गंगा कालेज, मैनपुर
3	आर्यभट्ट कला, विज्ञान महा., कोपरा
4	रामचण्डी कालेज, सरायपाली

9. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

कुलसचिव
19/03/25

पृ. क्रमांक: 553 / अका. / वि.परि. / 2025
प्रतिलिपि :

रायपुर, दिनांक : 19 / 03 / 2025

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
2. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर
3. विद्यापरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यों को।
4. अध्यक्ष, रसायन अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
5. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण विभाग,
6. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कुलसचिव
उप कुलसचिव (अका.)